ऐशबाग दोहरे हत्याकांड का खुलासा....

संपत्ति हड़पने के लिए की दो सगे भाइयों ने हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के चर्चित ऐशबाग डबल मर्डर केस का जोन-01 पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने मृतक दंपती की संपत्ति हड़पने की नीयत से पहले धोखाधड़ी कर मकान का दानपत्र (गिफ्ट डीड) अपने नाम कराया और बाद में योजनाबद्ध तरीके से दोनों की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, थाना ऐशबाग क्षेत्र स्थित ओल्ड सुभाष नगर के मकान क्रमांक बी-35/2 में रहने वाले हेमंत फिलेमोन और उनकी पत्नी शकुंतला फिलेमोन के शव घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले थे। घर से दुर्गंध आने पर दूसरी मंजिल पर रहने वाले किरायेदार ने डायल-112 और पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस को हेमंत फिलेमोन पलंग पर और शकुंतला फिलेमोन बैठक कक्ष के सोफे पर मृत मिले। घटनास्थल से कारतूस के खोखे, बुलेट सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए थे।

पुलिस महानिदेशक ने किया था 50 हजार इनाम घोषित, दोनों आरोपी गिरफ्तार

घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया। पुलिस ने 20 टीमों के जरिए 1500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, 100 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की तथा मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। लंबी जांच के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी श्रीकांत चिचलिया (40), निवासी कजलीखेड़ा, पेशा प्रॉपर्टी ब्रोकर तथा उसके भाई शशीकांत चिचलिया (35), निवासी कजलीखेड़ा, को गिरफ्तार कर लिया।

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ में दोनों ने हत्या की साजिश और वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। पुलिस के अनुसार, दोनों भाइयों ने मृतक दंपती का मकान छलपूर्वक अपने नाम कराने के बाद संपत्ति पर कब्जा करने के उद्देश्य से इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया।

पुलिस महानिदेशक ने इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर 50 हजार का इनाम घोषित किया था। पुलिस का कहना है कि प्रकरण में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

ट्विशा प्रकरण में पहली बार सामने आए गिरिबाला के अधिवक्ता

नप्र, भोपाल : बहुचर्चित ट्विशा प्रकरण में पहली बार आरोपित गिरिबाला सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता इनोश जॉर्ज कार्लो सार्वजनिक रूप से सामने आए। उन्होंने मीडिया से चर्चा में दावा किया कि उनके मुवक्किलों ने कभी भी ध्वनि नमूना देने से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय में जो भी कार्यवाही हुई है, उसे आदेश पत्रिका के आधार पर ही देखा जाना चाहिए।

अधिवक्ता कार्लो ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ध्वनि नमूना लेने की प्रक्रिया के दौरान पढ़ने के लिए जो प्रतिलेख दिया गया था, उसे लेकर उनके मुवक्किलों के मन में कुछ कानूनी शंकाएं थीं। उनका कहना था कि किसी भी आरोपित को अपने अधिवक्ता से कानूनी परामर्श लेने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल सका। इसके बावजूद गिरिबाला सिंह ने लगभग तीन घंटे तक ध्वनि नमूना दिया।

सेवा भारती ने तैयार किए 25 आरोग्य मित्र और संजीवनी सखियाँ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सेवा भारती द्वारा बस्ती एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आनंद धाम, लिंक रोड क्रमांक-3 पर आरोग्य मित्र एवं संजीवनी सखी का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के समापन पर 25 आरोग्य मित्रों एवं संजीवनी सखियों को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रांतीय संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से स्वस्थ भारत के निर्माण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। आयाम प्रमुख डॉ. किरण शेजवार ने गैर-संचारी रोगों की पहचान, बचाव और समय पर मार्गदर्शन के महत्व पर प्रकाश डाला। चार सत्रों में आयोजित प्रशिक्षण में डॉ. समता दुबे, डॉ. के.सी. दुबे और डॉ. ललित श्रीवास्तव ने गैर-संचारी एवं संचारी रोगों, नेत्र संबंधी समस्याओं तथा उनके बचाव की जानकारी दी।

पर्यटन विकास पर राष्ट्रीय मंथन में शामिल होंगे डॉ. मोहन यादव

नप्र, भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 16 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय 'फेथ कॉन्क्लेव-2026' में शामिल होंगे। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय 'अतुल्य भारत : अमूल्य अर्थशास्त्र' रखा गया है। यह सम्मेलन 16 और 17 जुलाई को आयोजित होगा, जिसमें देश के नीति निर्माता और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय उन्नति को गति देना है। इस दौरान 'पर्यटन विकास घोषणा-पत्र' के अंतर्गत समयबद्ध कार्ययोजना का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसमें पर्यटन को आधारभूत संरचना का दर्जा देने, मिशन स्वरूप में 50 पर्यटन स्थलों का विकास तथा वैश्विक स्तर पर भारत के प्रचार-प्रसार जैसे विषय शामिल हैं। सम्मेलन में सरल वीजा व्यवस्था, पर्यटन अधोसंरचना में निवेश तथा एकल खिड़की स्वीकृति व्यवस्था के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री की उपस्थिति से मध्यप्रदेश में पर्यटन निवेश और विकास की संभावनाओं को नया बल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

निशातपुरा में खूनी संघर्ष, युवक गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः थाना निशातपुरा क्षेत्र के शांतिनगर में गाड़ी खड़ी करने के विवाद को लेकर पड़ोसियों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। घटना में सचिन शाक्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पीपुल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सचिन शाक्य का आरोप है कि पड़ोसी अंगूरी ठाकुर, विशाल ठाकुर और अंकित ठाकुर ने उनके और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि वाहन खड़ा करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था।

सचिन शाक्य का कहना है कि वे पिछले करीब आठ महीने से इस विवाद से परेशान थे। उनका आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में कमिश्नर कार्यालय सहित थाना निशातपुरा पुलिस से कई बार शिकायत की थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विवाद के दौरान उन्हें ठाकुर परिवार की ओर से जातिसूचक शब्द कहे जाते थे। घायल सचिन शाक्य ने आरोप लगाया कि घटना के बाद भी पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल सचिन शाक्य का पीपुल्स अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं, पुलिस की ओर से मामले की आधिकारिक पुष्टि और दोनों पक्षों के बयान के बाद ही घटना के सभी तथ्यों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।

एक दिवसीय प्रशिक्षण में स्वास्थ्य जागरूकता और जीवनरक्षक उपायों की दी जानकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिसर की दिशा में भोपाल जिला न्यायालय परिसर में प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही यह मध्य प्रदेश का पहला जिला न्यायालय परिसर बन गया है, जहां इस प्रकार की पहल प्रारंभ की गई है। अभियान का उद्देश्य अधिवक्ताओं, वादकारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए स्वच्छ तथा हरित वातावरण तैयार करना है।

इस जनहित अभियान की शुरुआत अधिवक्ता अनुराग दुबे के सहयोग से हुई। उन्होंने न्यायालय परिसर में व्यवस्थित कचरा प्रबंधन के लिए लोहे की जाली से बने पांच विशेष प्लास्टिक बोतल संग्रह पात्र दान किए हैं। इन्हें परिसर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया गया है, जिससे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के कचरे को अलग एकत्र कर पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया जा सके।

आईएसबीटी पर विशेष मजिस्ट्रेट जांच अभियानः 13 वाहनों पर कार्रवाई, काली परत हटवाई और एक डंपर जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल पर बुधवार को जिला न्यायालय के निर्देश पर विशेष मजिस्ट्रेट जांच अभियान चलाया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आग्नीध्र कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में तीन अन्य मजिस्ट्रेट तथा चार थाना क्षेत्रों की पुलिस ने संयुक्त रूप से वाहनों की सघन जांच की और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की। अभियान के दौरान एक सहायक कमांडेंट के वाहन को भी जांच के लिए रोका गया। दस्तावेजों की जांच के बाद सभी अभिलेख सही पाए जाने पर वाहन को जाने की अनुमति दे दी गई। जांच के दौरान कुल 13 वाहनों के चालान किए गए। इनमें 10 वाहनों के शीशों पर लगी काली परत हटवाई गई और संबंधित वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त एक वाहन पर अनधिकृत खोज प्रकाश लगाने तथा एक अन्य वाहन पर पंजीयन संख्या पट्टिका नहीं होने के कारण कार्रवाई की गई। पुलिस ने दस्तावेजों में अनियमितता पाए जाने पर एक डंपर को भी जब्त कर लिया। अभियान के दौरान सभी वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों और यातायात नियमों के पालन की बारीकी से जांच की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार के विशेष अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे। साथ ही वाहन चालकों से अपील की गई कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें।

वाहन जांच के दौरान स्कूटी गायब होने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः वाहन जांच के दौरान पुलिस की कथित लापरवाही का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच के दौरान पुलिसकर्मी ने उसकी स्कूटी की चाबी अपने पास रख ली और बाद में वह चाबी एक अज्ञात व्यक्ति को दे दी, जो स्कूटी लेकर मौके से फरार हो गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि पूरी घटना वहां लगे निगरानी कैमरों में दर्ज हुई है।

ललरिया, तहसील बैरसिया निवासी नदीम आलम ने पुलिस आयुक्त को दिए आवेदन में बताया कि उसकी सुजुकी बर्गमैन स्कूटी क्रमांक एमपी-04-ज़ेडवाई-8982 को 13 जुलाई की रात लगभग आठ बजे उसके बहनोई मोहम्मद सगीर चला रहे थे। वह सेंट्रल लाइब्रेरी होते हुए इब्राहिमपुरा जा रहे थे। इसी दौरान सेंट्रल लाइब्रेरी चौराहे पर वाहन जांच चल रही थी।

शिकायत के अनुसार, पुलिसकर्मी ने स्कूटी रोककर उसकी चाबी अपने पास रख ली और 300 रुपये का चालान बनाया। उस समय चालान की राशि साथ नहीं होने पर सगीर ने नदीम को पैसे लेकर बुलाया।

भोपाल में किरायेदार, पीजी, नौकर और होटल मेहमानों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार शहर में किराएदारों, पेइंग गेस्ट (पीजी), घरेलू नौकर-चाकर, छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं तथा होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसोर्ट और गेस्ट हाउस में ठहरने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड और पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

पुलिस आयुक्त ने आदेश में कहा है कि भोपाल विभिन्न दृष्टिकोणों से अत्यंत संवेदनशील शहर है। यहां वीआईपी, अति महत्वपूर्ण संस्थान (वाइटल इंस्टॉलेशन), शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएं और व्यापारिक गतिविधियों के कारण बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। ऐसे में अपराधी तत्व, आतंकवादी, कट्टरपंथी संगठन या अवैध प्रवासी भी सामान्य नागरिकों की आड़ में शहर में ठहर सकते हैं, जिससे कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा प्रभावित होने की आशंका रहती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए शहर में अस्थायी रूप से रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी पुलिस के पास उपलब्ध कराना आवश्यक किया गया है। आदेश के तहत मकान मालिकों को किराएदारों और पीजी में रहने वालों की जानकारी पुलिस को देना होगी। वहीं, घरेलू नौकर, कर्मचारी, छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं तथा होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसोर्ट और गेस्ट हाउस में ठहरने वाले यात्रियों का रिकॉर्ड भी निर्धारित प्रारूप में संधारित करना अनिवार्य रहेगा।

पुलिस का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य शहर में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा किसी भी संभावित आपराधिक या आतंकवादी गतिविधि को समय रहते रोकना है।

शुभारंभ *गुरु वंदना के साथ शुरू हुआ गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा*

भाषण, निबंध, योग, पौधरोपण और गुरु-शिष्य संवाद से जुड़ेंगे विद्यार्थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में बुधवार से गुरु पूर्णिमा पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। 15 से 29 जुलाई तक आयोजित होने वाले इस पखवाड़े की शुरुआत विद्यार्थियों ने मां सरस्वती और गुरु वंदना के साथ की। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में गुरु के प्रति सम्मान, अनुशासन, नैतिक मूल्यों तथा भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति आस्था विकसित करना और विद्यालयों में संस्कारयुक्त शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है।

पखवाड़े के दौरान विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और प्रतिभा विकास को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें गुरु के महत्व पर भाषण प्रतियोगिता, 'मेरे जीवन में गुरु' विषय पर निबंध लेखन, संस्कृत श्लोक पाठ, गुरु वंदना, भजन प्रस्तुति, योग एवं ध्यान, स्वास्थ्य जागरूकता, व्यवसाय मार्गदर्शन, प्रेरक व्याख्यान, 'एक गुरु-एक वृक्ष' अभियान, पालक-शिक्षक बैठक, स्वच्छता एवं जनजागरूकता रैली तथा 'गुरु-शिष्य प्रेरणा संवाद' शामिल हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल, सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

16 से 27 जुलाई तक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों के विद्यार्थियों को निकटवर्ती सांदीपनि विद्यालयों का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। 24 जुलाई को 'एक गुरु-एक वृक्ष' अभियान के अंतर्गत पौधरोपण होगा, जबकि 25 जुलाई को पालक-शिक्षक बैठक आयोजित की जाएगी। 27 जुलाई को स्वच्छता अभियान एवं जनजागरूकता रैली और 28 जुलाई को 'गुरु-शिष्य प्रेरणा संवाद' का आयोजन होगा।

गुरु पूर्णिमा पखवाड़े का समापन 29 जुलाई को होगा। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

साथ ही 90 प्रतिशत से अधिक परीक्षा परिणाम देने वाले प्राचार्यों और शिक्षकों तथा विद्यालय स्तर पर सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। सांदीपनि विद्यालयों में विज्ञान प्रदर्शनी, नवाचार, विज्ञान प्रयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रदर्शन तथा मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान जैसे विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

न्यायालय, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय क्रमांक 02 भोपाल (म.प्र.)

प्र.क्र. 13/2024 एम.पी. आई आर विविध

ओमवीर शर्मा आ.श्री सियाराम शर्मा...

बनाम.....1. लीलासन्स ब्रेवरीज लिमिटेड द्वारा-प्रबन्धक/अध्यक्ष, औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा भोपाल म.प्र. **2.** मोहन लीला आ. श्री बाबूराम लीला डायरेक्टर लीलासन्स ब्रेवरीज लिमिटेड पता-मकान नं.64 मालवीय नगर न्यू मार्केट के पास भोपाल म.प्र.

एतद द्वारा अनावेदक पक्षकारगण को सूचित किया जाता है कि प्रकरण क्रमांक प्र.क्र. 13/2024 एम.पी.आई.आर. विविध तहत प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में आपकी उपस्थिति जवाब प्रस्तुति के लिये दिनांक 24.07.2026 नियत है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि प्रकरण में नियत आगामी दिनांक 24.07.2026 को श्रम न्यायालय क्रमांक 02, शाहजानाबाद भोपाल में उपस्थित होवे और जवाब प्रस्तुत करे। यदि आप नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होते है तो प्रकरण की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि पेशी दिनांक को कारणवश अवकाश घोषित होता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी कार्य दिवस से की जावेगी। आज दिनांक 29.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

(संजना सरल)
पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय क्र. 2 (म.प्र.) भोपाल

कार्यालय राजस्व निरीक्षक , संत हिरदाराम नगर (वैरागढ़), भोपाल

क्र./रा.नि./अ-3/2026-27 भोपाल दि. ///

नक्शा-बटान सूचना-पत्र

प्रति, स.क, नाम, पता, प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर नाम मोबाइल नं.1. श्री मकबूल अहमद आ. श्री जमील अहमद निवासी-म.न. 18 बुधवारा भोपाल 2. श्री सिद्धीविनायक बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री रतन कुमार आसवानी आ. स्व. श्री उधाराम आसवानी निवासी बंगला नं-18, निर्मल नर्सरी बैरागढ़, भोपाल 3. श्री फरीद अहमद आ. श्री जमील अहमद निवासी-म.न. 244. बुधवारा भोपाल 4. श्री इफ्तेखार अहमद आ. श्री जमील अहमद निवासी-म.न. 18. बुधवारा, भोपाल 5.श्री निसार अहमद आ. श्री जमील अहमद निवासी-म.न. 22. बुधवारा, भोपाल 6. सर्व संबंधित पक्षकार **विषयः-** नक्शा बटान विषयक। **संदर्भः** न्या.तह.स.हि.राम नगर भोपाल के रा.प्र.क्र. 07/अ-3/2026-27 दिनाक 05.06.2026 विषयान्तर्गत माननीय न्यायालय तहसीलदार, सत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत्त भोपाल के आदेश के पालन में आवेदक-श्री मकबूल अहमद आ0 श्री जमील अहमद निवासी म.न 18. बुधवारा, भोपाल नगरीय क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पीपलनेर, भोपाल में अवस्थित खसरा नंबर 243/1 (5) रकबा 0.4890 हे. भूमि का नक्शा बटान हेतु रानि वृत्त-संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) को मौका कब्जा उठाकर नक्शा बटान प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये गये है। अतः उक्त आदेश के पालन में मेरे द्वारा दिनांक 17/07/2026 को दोपहर 11 बजे से मौका का उठाने की कार्यवाही की जाएंगी। आपका पड़ोसी कृषक/हितबद्ध पक्षकार होने के कारण सूचित किया जाता है कि आप भी मौका कब्जा उठाने की कार्यवाही के समय भूमि स्वामित्व सबधी मूल एवं छायाप्रति दोनों दस्तावेजों सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष रख सकते हैं। आपकी अनुपस्थिति की दशा में मौका कब्जा उठाने की कार्यवाही स्थगित नहीं की जावेगी।

राजस्व निरीक्षक
सत हिरदाराम नगर

945

परिशिष्ट B-संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, भोपाल
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

एमजेसी एसयूसी/101/2026
श्रीमती शीतल पाठक बनाम सर्वसाधारण
NEXT DATE :19-08-2026

प्रेषिती, सर्व साधारण पता-भोपाल एम पी **यह कि प्रार्थी** श्रीमती शीतल पाठक ने आपके विरुद्ध एमजेसी एसयूसी/101/2026 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 19-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें:-** यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

श्रीमती मेघा अग्रवाल, न्यायाधीश
पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड भोपाल

946

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री दिनेश कुशवाहा, निवासीः भोपाल (म.प्र.) अपनी अचल संपत्ति (भूमि/मकान) पर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (Capri Global Capital Limited), शाखा- भोपाल से ऋण (Loan) प्राप्त कर रहे हैं। उक्त ऋण प्रक्रिया के दौरान यह संज्ञान में आया है कि संपत्ति के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों जैसे- रजिस्ट्री (विक्रय पत्र) एवं राजस्व अभिलेखों (खसरा) में त्रुटिवश मेरे पक्षकार के पिता का नाम 'B.B कुशवाहा' दर्ज हो गया है जबकि उनके पिता का वास्तविक, वैधानिक और सत्य नाम 'गुननीलाल' है, जो कि उनके अन्य सभी सरकारी व पहचान दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन (PAN) कार्ड और राशन कार्ड में भी स्पष्ट रूप से 'गुननीलाल' ही दर्ज है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संपत्ति के दस्तावेजों में दर्ज नाम B.B कुशवाहा एवं वास्तविक नाम गुननीलाल, दोनों एक ही व्यक्ति (मेरे पक्षकार के पिता) के हैं। भविष्य में उनके पिता का वास्तविक नाम सभी जगह 'गुननीलाल' ही पढ़ा व समझा जावे। अतः इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति, बैंक, अन्य वित्तीय संस्था या उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति या दावा हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन के 07 (सात) दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी (वकील) के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रमाण सहित अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। उक्त समयावधि (सात दिवस) के समाप्त होने के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति को सर्वथा आधारहीन, असत्य व प्रभावहीन माना जावेगा तथा मेरे पक्षकार कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड से अपने ऋण संबंधी व अन्य वैधानिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

ANAMIKA NATH, ADVOCATE
OFFICE cum Resi. H.No.29, Satakshi Garden, Khajuri Kalan Road, Piplani, Bhopal (M.P.)402022 Mob.9039026897

944

न्यायालय आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम श्रम न्यायालय क्रमांक 1 भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 17/ई.सी.एक्ट/2026

सूचना-पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 18.09.2025 को हुई दुर्घटना में श्रमिक श्री समीर शेख आ. श्री सलीम शेख की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि नियोक्ता दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा इस न्यायालय में रूपये 1323491/-शब्दों में तेरह लाख तेईस हजार चार सौ इकान्वे रूपये मात्र जमा किये गये है। यह राशि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत जमा की गई है। अतः यदि कोई व्यक्ति धारा 21 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत मृतक का आश्रित हो तो वह दिनांक 25.08.2026 को सुबह 10.30 बजे मेरे समक्ष इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना क्लेम एवं साक्ष्य प्रस्तुत करें और साथ में अपनी शिनाख्तगी के लिए किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अटेस्टेड किया हुआ स्वयं का फोटो भी साथ में लावें। उक्त दिनांक को अवकाश घोषित हो जाता है या अन्य किसी कारण से कार्य स्थगित हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई अगले कार्य दिवस पर की जावेगी। ध्यान रहे कि उपरोक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अतः आज दिनांक 15/7/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुदा के अधीन जारी किया गया।

आयुक्त
कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम

कार्यालय तहसीलदार तहसील कोलार जिला भोपाल

क्रमांक क्यू /तह.को/रीडर/2026
भोपाल दिनांक 13/07/2026
प्रकरण क्रमांक 0143/अ-3/2024-2025
ग्राम बावड़ियाकलां

इश्तेहार

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती सविता साहू पत्नी श्री सुरेन्द्र साहू निवासी ई-7/72 अरेरा कॉलोनी भोपाल द्वारा ग्राम बावड़ियाकलां स्थित खसरा क्रमांक 6/1/2/1/2, 6/1/2/2/2, 6/1/2/1/1/1/2 रकबा क्रमशः 0.0970, 0.3480, 0.2510 कुल रकबा 0.6960 हे. का बटान इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 0143/अ-3/2024-2025 आदेश दिनांक 16.05.2025 से किया गया है उक्त आदेश को अनुविभागीय अधिकारी तहील कोलार के प्रकरण क्रमांक 0020/अपील/2026-2027 आदेश दिनांक 19.06.2026 से उक्त प्रकरण क्रमांक 0143/अ-3/2024-2025 आदेश दिनांक 16.05.2025 निरस्त किया गया, एंव समस्त मेढ़ पड़ोसी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई कर निराकरण हेतु इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था को उक्त बटान के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तेहार के जारी होने के दिनांक से सात दिवस के भीतर इस न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करे समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 13.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील कोलार, जिला भोपाल

943

न्यायालय वृत्त रतनपुर सड़क तहसीलदार, तहसील-कोलार, जिला भोपाल

क्रमांक 0771/अ-6/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है प्रकरण का संक्षिप्त विवरण आवेदक विशवेश्वर सक्सेना आत्मज लक्ष्मीनारायण सक्सेना निवासी-भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा पत्र अन्तर्गत धारा 109-110 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है ग्राम रतनपुर सडक स्थित भूमि खसरा क्रमांक 944,946 के अंश भाग पर स्थित भूखण्ड क्रमांक जिसका रकबा 2.17 हे. के आधार पर फौती नांमातरण किये जाने हेतु निवेदन किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति होतो वह इस इश्तहार के जारी होने के 15 दिन के भीतर इस न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करे। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 19/5/2026 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील कोलार, जिला भोपाल

942

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र.

कमांक / भोपाल दिनांक 15/7/2026
प्रक्र. क्रमांक 0317/बी-121/2025-2026

सूचना पत्र

प्रति, अमर इंडिया प्रा.लि. द्वारा श्री कुलदीप कुशवाह आ. श्री अमर सिंह कुशवाह निवासी ग्राम मुगालिया कोट तहसील हुजूर जिला भोपाल। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक विशाल मीना आ. श्री मांगीलाल मीना निवासी ग्राम इमलिया तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. द्वारा अनावेदक अमर इंडिया प्रा.लि. द्वारा श्री कुलदीप कुशवाह आ. श्री अमर सिंह कुशवाह निवासी ग्राम मुगालिया कोट हुजूर जिला भोपाल द्वारा अधिनस्थ क्रमांक 377/अ-12/2023-2024 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2025 से दुखी एवं व्यथित होकर तहसील न्यायालय प्रकरण म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 (5) के तहत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण में आप हितबद्ध पक्षकार है। उक्त में यदि आपको या किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो नियत पेशी दिनांक 22-7-26... को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष समर्थन/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है उपस्थित न होने की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। आज दिनांक15/7/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल

941